राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	162/2025	दुर्गा प्रसाद जोशी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनू। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गांगियासर, ब्लॉक अलसीसर, जिला झुन्झुनू।	श्री संदीप कलवानियां
2.	176/2025	राजेश कुमार हरशोलिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Dala ka Khera, देवगढ़ राजसमन्द।	श्री गिरिराज राजोरिया

आदेश की दिनांक : 17.01.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलों में चुनौती का आधार समान है। अतः सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 162/2025 दुर्गा प्रसाद जोशी बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गांगियासर, अलसीसर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ढाणी चारण में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को बीएलओ के पद पर कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा आदेश दिनांक 08.10.2024 के द्वारा दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2025 तक बीएलओ के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उक्त स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध के आदेश में स्पष्ट रूप से यह अंकित था कि आयोग /मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अधिकारियों/कर्मचारियों का

स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। अपीलार्थी के स्थानान्तरण के लिये कोई प्रस्ताव निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नहीं भेजा गया है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश उक्त आदेश के विरूद्ध जाते हुए पारित किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 600/2025 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2025 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान बीएलओ का स्थानान्तरण किये जाने को उचित नहीं माना है और स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जो आदेश दिनांक 08.10.2024 पारित कर बीएलओ के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, वह दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2024 तक की अवधि के लिये लगाया गया है। प्रतिबन्ध अवधि के दौरान ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी को प्रतिबन्ध अवधि के दौरान कार्यमुक्त नहीं किया गया है। ऐसे में बीएलओ पद के कार्य के निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 600/2025 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2025 वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। चूंकि अब प्रतिबन्ध की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को प्रभाव दिये जाने में कोई पाबन्दी नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम दोनों अपीलों में कोई बल होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 162/2025 में एवं छायाप्रति अपील संख्या 176/2025 में संलग्न की जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)